

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद
(कार्यादेश)

प्रेषक,

अधिशायी अभियंता,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

मेसर्स बाबा बिल्डर्स,
218डी, जयन्तीपुर, सुलेम सराय,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 148/अधि0अभि0/वि0प्रा0/2016-17

दिनांक : 07/05/2016

विषय : जागृति विहार आवास योजना कालिन्दीपुरम् में समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत निम्न मध्यम आय वर्ग के 208 फ्लैटों के निर्माण व विकास कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्य की निविदा धनांक ₹0 17,80,67,382.00 की स्वीकृति आपके पक्ष में सर्वनिम्न होने के कारण उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 30.04.2016 को प्रदान कर दी गयी है। आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त स्वीकृत निविदा धनांक ₹0 17,80,67,382.00 में से ₹0 40,00,000.00 का 10% जमानत धनराशि धनांक ₹0 4,00,000/- एवं ₹0 17,40,67,382.00 का 5% जमानत धनराशि धनांक ₹0 87,03,400/- कुल धनांक ₹0 91,03,400/- N.S.C./F.D.R/B.G./C.D.R./Cash के रूप में जमा करा दें। शासनादेश संख्या-102286-355/स्टाम्प/73 एवं दिनांक 12.06.2006 आयुक्त स्टाम्प उ0प्र0 इलाहाबाद के अनुसार ₹0 110.00 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित करायें।

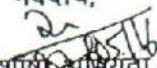
यदि पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर आप द्वारा वांछित जमानत धनराशि N.S.C./F.D.R/B.G./C.D.R./Cash के रूप में जमा कराते हुए अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पादित नहीं कराई जाती है तो आपकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी तथा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा साथ ही भवन एवं सन्निर्माण अधिनियम 1996 सपठित उ0प्र0 नियमावली, 2009 के अनुसार ₹0 10.00 लाख से अधिक के कार्य पर श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा। निम्न उपबन्धों का भी अनुपालन किया जाय।

1. ठेकेदार को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तत्सम्बन्धी प्रदेश नियमावली 2009 में विहित प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
2. ठेकेदार को राज्य कर्मकार बीमा एक्ट 1948 के प्राविधानों का अनुपालन करना होगा।
3. ठेकेदार को भारत सरकार द्वारा आरोपित सेवाकर अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा।
4. ठेकेदार को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1952 प्राविडेन्ट एक्ट 1925 तथा वेतन आदि का भुगतान करना होगा।
5. शेष कटौतियाँ उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप की जायेगी।
उपरोक्त शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

कार्य प्रारम्भ की तिथि : 20.05.2016

कार्य समाप्त की तिथि : 18.08.2016

भवदीय,


अधिशायी अभियंता,
इ0वि0प्रा0

प्रतिलिपि :-

1. सचिव महोदय को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता को सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. उप श्रमायुक्त, इलाहाबाद, 9, म्यो रोड, इलाहाबाद को सूचनार्थ।
5. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

For BABA BUILDERS

अधिशायी अभियंता

PARTNER